उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

पी०डी० केश नं०-01/2019-20

सरकार

बनाम्

जोसेफ मरण्डी एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, गोड्डा के पत्रांक–337/रा० दिनांक–01.04.2015 के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। उक्त पत्र के द्वारा अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी का पत्रांक–119/रा० दिनांक–10.03.2015 संलग्न किया गया है, जिसके द्वारा निम्नांकित ग्राम प्रधानों को उसके सामने अंकित मौजा के प्रधानी पद से बर्खास्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है :–

क्रमांक	प्रधान का नाम		मौजा का नाम
1.	देवा पहाड़िया	–	केसरीपाड़ा नं0–33पी0
2.	जोसेफ मरण्डी	–	जियोजोरी नं0–22पी0
3.	सोमाय पहाड़िन	–	तामलीबेड़ो नं0–50पी0
4.	सनोमी पहाड़िया	–	चुड़ी नं0–10पी0
5.	छीतो बेसरा	–	छोटा डांगापाड़ा नं0–09
6.	गंगीया देवी	–	बरगो नं0–26पी0
7.	वर्णमाल पहाड़िया	–	पाव कुड़िया नं0–44पी0

अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी का प्रतिवेदन है कि उक्त मौजा के अन्तर्गत जंगल एवं रैयती भूमि पर सुरंग बना कर अवैध खनन किया जा रहा है। उक्त मौजा के प्रधान के द्वारा सरकारी सम्पति की सुरक्षा हेतु समय पर सूचना न देकर अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। इसलिए विपक्षीगण संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूचि–V के "Dismissal of Headman" के कंडिका 3 के अनुसार प्रधान के पद से बर्खास्त करने लायक है।

उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर विपक्षीगण को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी जोसेफ मरण्डी प्रधान मौजा–जियाजोरी, सोमाय पहाड़िया प्रधान मौजा–तामलीबेडो, वर्णवास पहाड़िया प्रधान मौजा–पावकुड़िया, सलोमी पहाड़िन प्रधान मौजा–चुड़ी एवं देवा पहाड़िया प्रधान मौजा–केसरीपाड़ा की ओर से

कारण–पृच्छा दिया गया है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षीगण बिल्कुल ही निर्दोष है। अवैध उत्खनन का कार्य दबंग लोंगो के द्वारा किया जाता था। मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इसलिए विपक्षी प्रधान के द्वारा कोयला के अवैध उत्खनन को बंद करने में असमर्थ हैं। विपक्षीगण ने उक्त मौजा के अन्तर्गत अवैध ढंग से कोयला उत्खनन के संबंध में सूचना अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को दिया गया था। विपक्षीगण के द्वारा प्रधानी पद का दुरूपयोग नहीं किया गया है। बल्कि विपक्षीगण के द्वारा विधि सम्मत एवं सुचारू तरीके से प्रधान का कार्य कर रहे हैं। विपक्षीगण ने मुकदमा से दोषमुक्त करते हुए मुकदमा को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि संबंधित मौजा के ग्राम प्रधान के द्वारा सरकारी सम्पति की सुरक्षा की ससमय सूचना न देकर अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन नहीं किया जा सका। जिस कारण अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची–V के कंडिका–3 के तहत संबंधित प्रधान को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है, जिसके आधार पर संबंधित सभी प्रधानों को एक साथ बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान के द्वारा सरकारी सम्पति की सुरक्षा की ससमय सूचना न देकर अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने के कारण अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची–V के कंडिका–3 के तहत संबंधित प्रधान को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन विपक्षीगण का कथन है कि उनलोंगो के द्वारा समय–समय पर सरकारी सम्पति की सुरक्षा हेतु सूचना दिया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को प्रधानी पद स बर्खास्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः विपक्षीगण को चेतावनी दिया जाता है कि भविष्य में सरकारी सम्पति की सुरक्षा हेतु सहयोगात्मक कार्य करेंगे एवं प्रधानी कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन सही तरीके से करेंगे। इस चेतावनी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को सूचित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

09/02/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen Sahadeo Adv. 10.2.22
डी०वी०– 28 11.02.22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:09:00 +05:30
Location: 192.168.29.8